निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 494) पटना, मंगलवार, 6 सितम्बर 2011

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं
2 सितम्बर 2011

एस0 ओ0 245, दिनांक 6 सितम्बर, 2011—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा–18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(*1*) यह नियमावली बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– (*1*) इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011);

(ख) ''केन्द्र सरकार'' से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग;

(ग) ''अंचल'' से अभिप्रेत है समय–समय पर इस निमित्त निर्गत सरकारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्य–कर प्रशासन की एक इकाई, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई कर निर्धारीती अथवा नियोजक अवस्थित हो;

(घ) ''अंचल प्रभारी'' से अभिप्रेत है अंचल का प्रभारी वाणिज्य–कर उपायुक्त, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य–कर पदाधिकारी अथवा इस निमित्त आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत पदाधिकारी;

(ङ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–10 के अधीन नियुक्त आयुक्त एवं इसमें बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–10 के अधीन नियुक्त अपर आयुक्त शामिल है;

(च) '''उपायुक्त, वाणिज्य–कर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–10 के अधीन नियुक्त उपायुक्त, वाणिज्य–कर;

(छ) ''संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य–कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त;

(ज) ''वार्ड'' से अभिप्रेत है किसी अंचल के भीतर समय–समय पर, इस निमित्त आयुक्त द्वारा निर्गत आदेश में यथाविनिर्दिष्ट प्रशासनिक इकाई;